[illegible]

वास्ते बहस दिनांक 15/01/2024 को
पेश हो।

सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

15/01/24 पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों के पत्रावली पर बहस सुनी गई। निर्णय अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। डिक्री पृथक जारी हो। पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

# न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री रामजीभाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 184/2013

**वादीगण**

1. श्रीराम पुत्र पाबूदान फौत के कायम मुकाम :–
   1/1 मांगीलाल पुत्र श्रीराम
   1/2 लिखमीचंद पुत्र श्रीराम
   1/3 चुन्नीलाल पुत्र श्रीराम
   1/4 ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम
   1/5 छगनदेवी पत्नी श्रीराम
2. दोलाराम पुत्र पाबूदान फौत के कायम मुकाम :–
   2/1 चेनाराम पुत्र दोलाराम
   2/2 पुखराज पुत्र दोलाराम
3. रूपाराम पुत्र पाबूदान फौत के कायम मुकाम :–
   3/1 छगनदेवी पत्नी रूपाराम
   3/2 मदनलाल पुत्र रूपाराम
   3/3 नरपत पुत्र रूपाराम
   3/4 जगदीश पुत्र रूपाराम
   3/5 अशोक पुत्र रूपाराम

   जाति देशान्तरी निवासी गुडामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. रामचन्द्र पुत्र पाबूदान फौत के कायम मुकाम :–
   1/1 भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र
   1/2 कसूम्बीदेवी पत्नी रामचन्द्र
   1/3 शान्ता पुत्री रामचन्द्र
   1/4 कमला पुत्री रामचन्द्र
   1/5 दमका पुत्री रामचन्द्र
2. श्रवण पुत्र मगाराम फौत के कायम मुकाम :–
   2/1 भोपी पत्नी श्रवण
   2/2 स्वरूप पुत्र श्रवण
   2/3 देवा पुत्र श्रवण
   2/4 लीला पुत्री श्रवण
   2/5 कौशल्या पुत्री श्रवण
   2/6 लक्ष्मी पुत्री श्रवण
   2/7 ममता पुत्री श्रवण
   2/8 पूजा पुत्री श्रवण
3. भीमाराम पुत्र मगाराम
4. मोहनराम पुत्र मगाराम
5. हरीराम पुत्र मगाराम
6. शंकराराम पुत्र मगाराम
7. समदा पत्नी मगाराम फौत के वारि प्रतिवादी संख्या 2 से 6
   जाति देशान्तरी निवासी गुडामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. मैंनेजर SBI बैंक शाखा गुडामालानी
9. मैंनेजर BCCB शाखा गुडामालानी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी
11. पिंकी कंवर पत्नी मोडसिंह
12. मंजू कंवर पत्नी दुर्गसिंह
13. लीला पत्नी हडमतसिंह
14. सकिया कंवर पत्नी लाधूसिंह
    जाति राजपूत निवासी जीवाणियों की ढाणी
15. रूखमणी पत्नी बुधराम जाति विश्नोई निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

स्थित :–

1. श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

## –:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15/11/24

वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगणका खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा का मौजा जुगताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र आलपुरा तहसील गुडामालानी में आया हुआ है, वादीगण ने मूल से उक्त खेत को गणेशा वल्द पुरखा कौम दरोगा निवासी गुड़ामालानी से बाजाब्ता रजिस्ट्री दिनांक 01.04.975 को खरीद किया जिसकी दिनांक 25.08.1975 को पास बुक जारी की गई। वादीगण ने जब उक्त खेत खरीदा था तब वक्त बेचान उनके नाम के साथ उनके पिता की वल्दियत का इन्द्राज कर दिया गया तथा उनके पिता पाबूदान का स्वर्गवास होने के बाद पाबूदान के वारिसान में रामचन्द्र व मगाराम के नाम का नामान्तरकरण भर दिया गया जिसकी जानकारी होने पर तत्समय वादीगण व प्रतिवादीगण रामचन्द्र व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पूर्वज के मध्य पंचायती हुई जिस पर पंचायती में पंच निर्णय के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 ने स्पष्ट रूप से वादीगण को लिखकर दिया गया कि उक्त खेत आप वादीगण द्वारा ही खरीद किया गया था इस खेत में हमारा कोई लेना–देना नहीं है यह खेत आपका ही है तथा पाबूदान के स्वर्गवास के बाद उनके नाम से जो नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है वह आपको जरिये रजिस्ट्री या आप दावा करो तो उसमें हम इकबाली जबाव दावे के जरिये उक्त खेत आपको वापस दे देंगे। प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पूर्वज मगाराम द्वारा वादीगण को उक्त लिखित कर दिये जाने के बाद वादीगण ने उसकी प्रति उसी समय हल्का पटवारी को दे दी तथा हल्का पटवारी द्वारा उक्त लिखित के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व मगाराम का नाम हटाने का आश्वासन वादीगण को दे दिया जिस पर वादीगण यही समझते रहे कि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पूर्वज मगाराम का नाम हटा दिया गया होगा। वक्त खरीद से आज दिन तक वादग्रस्त खेत पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 या उनके पूर्वजों का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अभी कुछ अर्सा पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पूर्वज मगाराम का स्वर्गवास हुआ तथा उसके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के नाम से नामान्तकरण भरा गया तथा उक्त नामान्तकरण भरे जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 से 7 ने गलत तरीके से वादीगण की भूमि में कब्जा करने का प्रयास किया तथा वादीगण को बेदखल करने की धमकीया दी तब वादीगण ने राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तब वादीगण को पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से 7 के पूर्वजों ने जो लिखित करके वादीगण को दी थी तथा उसकी कोपी वादीगण द्वारा हल्का पटवारी को देने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से 7 के पूर्वजों के नाम नहीं हटाया गया तथा अभी प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के पूर्वज का स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के नाम से नामान्तकरण भरा गया है तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया तथा

सहायक कलक्टर गुड़ामालानी

पूर्व की लिखित अनुसार वादीगण के पक्ष में उक्त खेत हस्तान्तरण करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने की वजह से उक्त लिखित को मानने से इन्कार कर रहे हैं तथा वादीगण को जबरन उसके हिस्से से बेदखल करने पर उतारू हैं ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा को अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी होने से यह घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा वादीगण के वाद पत्र का जबावदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ता 7 के पिता व पति ने संयुक्त परिवार की कुटुम्ब की आय से गणेशा पुत्र पुरखा कौम दरोगा से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 12.04.1965 को क्रय की थी। वादी संख्या 1 पढा लिखा व संयुक्त कुटुम्ब का मुखिया होने के नाते उपपंजीयक कार्यालय में जाकर तीन भाईयों वादीगण के नाम से रजिस्ट्री करवा दी जबकि दो भाईयों का जानबूझकर नाम नहीं लिखवाया है, जबकि परिवार की संयुक्त आये से क्रय करने के कारण पाबूदान के पांचों पुत्रों का नाम आना चाहिये, प्रतिवादी वादीगण के साथ बहिस्सा बराबर खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवाद में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से 7 के पिता व पति का बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 है इसी अनुसार काबिज काश्त हैं तथा इसी अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया जावे। ।

न्यायालय में वादपत्र, जबाबदावा, दस्तावेजात प्रस्तुत होने पर निम्न विवादक कायम किये गये :–

1. आया वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा की भूमि वादीगण की स्वअर्जित होने से उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करवाते हुए सम्पूर्ण आराजी का 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी हैं ?

( जिम्मे वादीगण )

2. आया वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा क्रय करने से तथा इस भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता स्व0 पाबूदान द्वारा क्रय किये जाने एवं वर्तमान में वादीगण के पिता पाबूदान का स्वर्गवास हो जाने से पिता पाबूदान द्वारा 1/2 हिस्से की क्रयसुदा भूमि में भी (सम्पूर्ण आराजी के अपने स्वअर्जित 1/2 हिस्से के अतिरिक्त) अपने 3/10 हिस्से की खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी हैं ?

( जिम्मे वादीगण )

सहायक कलेक्टर, सूरतगढ़

3. आया वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता स्व0 पिता पाबूदान द्वारा क्रय किये जाने एवं वर्तमान में वादीगण के पिता पाबूदान का स्वर्गवास हो जाने पाबूदान द्वारा 1/2 हिस्से की क्रयसुदा भूमि में पाबूदान के पांचों पुत्रों का बराबर–बराबर हिस्सा होने से वादीगण श्रीराम, दोला, रूपा सम्पूर्ण आराजी में अपने 1/2 हिस्सा को सुरक्षित रखते हुए पाबूदान के विधिक वारिसान वादीगण श्रीराम, दोला, रूपा एवं पतिवादी रामचन्द, मगाराम के हिस्से में प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्से की भूमि खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी हैं ?

( जिम्मे वादीगण )

4. आया वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा क्रय करने से तथा इस भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता स्व0 पाबूदान द्वारा क्रय किये जाने एवं वर्तमान में वादीगण के पिता पाबूदान का स्वर्गवास हो जाने से पिता पाबूदान द्वारा 1/2 हिस्से की क्रयसुदा भूमि में भी (सम्पूर्ण आराजी के अपने स्वअर्जित 1/2 हिस्से के अतिरिक्त) अपने 3/10 हिस्से की खातेदारी में घोषित करवाने के के बाद वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि के सम्बन्ध में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं?

( जिम्मे वादीगण )

5. आया प्रतिवादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि (वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ता 7 के पिता व पति से संयुक्त परिवार के कुटुम्ब की आय से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 12.04.1965 को क्रय करने से) में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों के 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हिस्से में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी हैं?

( जिम्मे प्रतिवादीगण )

6. आया प्रतिवादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों के 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हिस्से में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने के बाद अपने हिस्से में आने वाली भूमि का बंटवारा वाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कर वादीगण से पृथक खाता कायम करवाने के अधिकारी हैं?

( जिम्मे प्रतिवादीगण )

7. आया प्रतिवादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों के 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हिस्से में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने के बाद अपने हिस्से में आने वाली भूमि का बंटवारा बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कर वादीगण से पृथक खाता कायम करवाने के के पश्चात प्रतिवादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि के सम्बन्ध में विरूद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं?

( जिम्मे प्रतिवादीगण )

8. अन्य सहायता...

तनकीयात के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा मौखिक साक्षय में PW-1 चुन्नीलाल, PW-2 पुखराज, PW-3 सुजानसिंह, PW-4 रामनारायण, PW-5 जालाराम के साक्षी शपथ–पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थित परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा प्रदर्श 1 नामान्तरण संख्या 238, प्रदर्श–2 नामान्तरण संख्या 1019, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत् 2024, प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत् 2034, प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत् 2019–22, प्रदर्श–6 जमाबन्दी संवत् 2038, प्रदर्श–7 खतौनी बन्दोवस्त, प्रदर्श–8 बेचान विक्रय पत्र संख्या 107, प्रदर्श–9 जमाबन्दी संवत् 2068–71, प्रदर्श–10 जबान्दी संवत् 2019–22, प्रदर्श–11 राजस्व विभाग की पासबुक प्रदर्शित करवाये गये। तथा प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य में DW-1 शंकरलाल, DW-2 भंवरलाल, DW-3 प्रतापसिंह को उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में EXD-1 ग्राम गुडामालानी के नामान्तरकरण संख्या 1019 की नकल, EXD-2 ग्राम गुडामालानी के नामान्तरकरण संख्या 238 की नकल, EXD-3 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 79 की नकल, EXD-4 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 82 की नकल, EXD-5 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 37 की नकल, EXD-6 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 315 की नकल, EXD-7 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 317 की नकल, EXD-8 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 320 की नकल, EXD-9 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 325 की नकल, EXD-10 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 326 की नकल, EXD-11 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 327 की नकल, EXD-12 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खाता संख्या 72 की वर्तमान जमाबन्दी की नकल, EXD-13 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खसरा संख्या 711 का आंशिक नक्शा ट्रेस की नकल, EXD-14A पंजीयन दस्तावेज संख्या 38/2016 की नकल प्रदर्शित करवाये गये।

साक्ष्य मौखिक एवं दस्तावेजी आने के बाद उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, पत्रावली, पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, साक्ष्य में पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

<u>तनकी संख्या 01...</u> आया वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा की भूमि वादीगण की स्वअर्जित होने से उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करवाते हुए सम्पूर्ण आराजी का 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से उक्त तनकी को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में PW-1 चुन्नीलाल, PW-2 पुखराज, PW-3 सुजानसिंह, PW-4 रामनारायण, PW-5 जालाराम के साक्षी शपथ–पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थित

नायब तहसीलदार गुडामालानी

परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा प्रदर्श 1 नामान्तरण संख्या 238, प्रदर्श–2 नामान्तरण संख्या 1019, प्रदर्श–3 जमावन्दी संवत् 2024, प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत् 2034, प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत् 2019–22, प्रदर्श–6 जमाबन्दी संवत् 2038, प्रदर्श–7 खतौनी बन्दोवस्त, प्रदर्श–8 बेचान विकय पत्र संख्या 107, प्रदर्श–9 जमाबन्दी संवत् 2068–71, प्रदर्श–10 जबान्दी संवत् 2019–22, प्रदर्श–11 राजस्व विभाग की पासवुक प्रदर्शित करवाये गये।

वादीगण की साक्ष्य में गवाह PW-1 चुन्नीलाल ने अपने बयानों में कथन किया है कि उक्त वाद वादीगण श्रीराम, दौलाराम व रूपाराम पि0 पाबूदान द्वारा पेश किया है जो सही व सत्य है, वर्तमान में वादीगण श्रीराम, दौलाराम, रूपाराम फौत हो चुके हैं तथा इनके वारिसान रेकर्ड पर आ चुके हैं, मैं श्रीराम का पुत्र हूँ, वादग्रस्त आराजी में मेरा वादी श्रीराम का पुत्र होने के नाते हित निहित है, वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा में वादीगण श्रीराम, दोलाराम व रूपाराम का 1/2 हिस्सा है प्रतिवादी रामचन्द्र व मगाराम पि0 पाबूदान का पाबूदान के फौत होने पर पैतृक रूप से पाबूदान के 1/2 हिस्से में प्रतिवादी रामचन्द्र और मगा पि0 पाबूदान का 1/10–1/10 हिस्सा हक में आता है जबकि राजस्व रेकर्ड में हिस्सा गलत दर्ज है। वादीगण श्रीराम, दोलाराम व रूपाराम ने गुणेशा वल्द पुरखा से खेत खसरा नम्बर 55–09 बीघा में से 1/2 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्ट्री विकय से कय की थी, जिससे सम्पूर्ण आराजी में मुतवफी पाबदान का 1/2 हिस्सा एवं वादीगण श्रीराम, दोलाराम, रूपाराम का 1/2 हिस्सा का है, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ था। पाबूदान के फौत होने पर पाबूदान के 1/2 हिस्से में पाबूदान के पांचों पुत्र श्रीराम, दोलाराम, रूपाराम, रामचन्द्र तथा मगाराम का नामान्तरकरण पारित करना था तथा शेष 1/2 हिस्से में स्वअर्जित खरीददार खातेदार श्रीराम, दोलाराम तथा रूपाराम का नामान्तरण पारित करना था, परन्तु ऐसाा नहीं किया गया। ..... जिरह में गवाह कथन करता है कि खसरा नम्बर 711 की भूमि पर पाबूदान के तीन लड़के खेती करते थे, खसरा नम्बर 711 पूर्व में गणेशा पुत्र पुरखाराम दरोगा के नाम था। रजिस्ट्री सन 1965 में हुई। प्रदर्श–9 रजिस्ट्री मैंने पेश की वह सही है, रजिस्ट्री में सभी बातें सही लिखी हैं। बेचान दस्तावेज का भाग मार्क A से B सही है, मार्क C से D भी सही है। मेरे पिता का नाम श्रीराम है। ये कहना गलत है कि मेरे पिता ने इस जमीन पर कभी लोन लिया हो। इस जमीन पर दौलाराम ने लोन लिया था। रूपाराम ने लोन लिया हो मुझे पना नहीं।

PW-2 पुखराज ने बयानों में कथन किया कि उक्त वाद वादीगण श्रीराम, दौलाराम व रूपाराम पि0 पाबूदान द्वारा पेश किया है जो सही व सत्य है, वर्तमान में वादीगण श्रीराम, दौलाराम, रूपाराम फौत हो चुके हैं तथा इनके वारिसान रेकर्ड पर आ चुके हैं, मैं दोलाराम का पुत्र हूँ, वादग्रस्त आराजी में मेरा वादी दोलाराम का पुत्र होने के नाते हित निहित है, वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा में वादीगण श्रीराम, दोलाराम व रूपाराम का 1/2 हिस्सा है प्रतिवादी रामचन्द्र व मगाराम पि0 पाबूदान का पाबूदान के फौत होने पर पैतृक रूप से पाबूदान के 1/2 हिस्से में प्रतिवादी

रामचन्द्र और मगा पि0 पाबूदान का 1/10–1/10 हिस्सा हक में आता है जबकि राजस्व रेकर्ड में हिस्सा गलत दर्ज है। वादीगण श्रीराम, दोलाराम व रूपाराम ने गुणेशा वल्द पुरखा से खेत खसरा नम्बर 55–09 बीघा में से 1/2 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्ट्री विकय से कय की थी, जिससे सम्पूर्ण आराजी में मुतवफी पाबदान का 1/2 हिस्सा एवं वादीगण श्रीराम, दोलाराम, रूपाराम का 1/2 हिस्सा का है, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ था। पाबूदान के फौत होने पर पाबूदान के 1/2 हिस्से में पाबूदान के पांचों पुत्र श्रीराम, दोलाराम, रूपाराम, रामचन्द्र तथा मगाराम का नामान्तरकरण पारित करना था तथा शेष 1/2 हिस्से में स्वअर्जित खरीददार खातेदार श्रीराम, दोलाराम तथा रूपाराम का नामान्तरण पारित करना था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। ....जिरह में गवाह पुखराज कथन करता है कि पाबूदान के पांच लड़के थे, यह कहना गलत है कि पहले रजिस्ट्री के समय खरीददार हाजिर नहीं होता हो। रजिस्ट्री कराने के लिये तीनों भाई गये थे, तीनों भाइयों ने रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर किये थे, तीनों भाईयों ने खरीदी थी, यह कहना गलत है कि पूरी जमीन बापौती नहीं है। आधी जमीन बापौती है। जमीन खरीदी वह दिन मुझे याद नहीं है, मैं छोटा था बुजुर्ग कह रहे थे जमीन खरीदी है। पाबूदान की मृत्यु संवत् 2035–36 या 37 में हुई है। पाबूदान की मृत्यु से पहले जमीन खरीदी थी। मगाराम व नगाराम नारे थे, तीनों भाई अलग थे, ये बात झूठी है कि पांचों भाईयों ने एक साथ खरीदी हो।

PW-3 सुजानसिंह ने बयानों में कथन किया कि मैं वादीगण व प्रतिवादीगण का सेढा पाडौसी हूँ, तथा वादीगण को पीढियों से जानता हूँ, वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा वादीगण श्रीराम, दोलाराम व रूपाराम ने कय किया था। सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा पाबूदान का तथा 1/2 हिस्सा श्रीराम, दोलाराम, रूपाराम का है। पाबूदान की फौतगी पर नामान्तरकरण गलत खोला गया। रामचन्द्र व मगाराम का इस विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकबे में 1/5–1/5 हिस्सा नहीं बनता है, प्रतिवादीगण मुतवफी पाबूदान के हिस्से 1/2 हिस्से में ही 1/5–1/5 हिस्सा बनता है अर्थात सम्पूर्ण आराजी में 1/10–1/10 हिस्सा खातेदारी में पैतृक रूप में आता है, तथा 1/2 हिस्सा वादीगण का स्वअर्जित है इसलिये इस 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है, प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। ...जिरह में कथन करता है कि मेरी उम्र 60 साल है, मेरा गांव बारासण है, वकील साहब ने शपथ–पत्र लिखने में मेरे गांव का नाम नहीं पूछा, शपथ–पत्र पर मुझे कहा वहां साईन कर दिये, शपथ–पत्र मुझे पढकर नहीं सुनाया, शपथ–पत्र मेरे आने से पहले तैया किया हुआ था।

PW-4 रामनारायण ने बयानों में कथन किया कि मैं वादीगण व प्रतिवादीगण का सेढा पाडौसी हूँ, मैं वादीगण को पीढियों से जानता हूँ, वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा वादीगण श्रीराम, दोलाराम व रूपाराम ने कय किया था। सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा पाबूदान का तथा 1/2 हिस्सा श्रीराम, दोलाराम, रूपाराम का है। पाबूदान की फौतगी पर नामान्तरकरण गलत खोला गया। रामचन्द्र व मगाराम का इस विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकबे

में 1/5–1/5 हिस्सा नहीं बनता है, प्रतिवादीगण मुतवफी पाबूदान के हिस्से 1/2 हिस्से में ही 1/5–1/5 हिस्सा बनता है अर्थात सम्पूर्ण आराजी में 1/10–1/10 हिस्सा खातेदारी में पैतृक रूप में आता है, तथा 1/2 हिस्सा वादीगण का स्वअर्जित है इसलिये इस 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है, प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। ...जिरह में कथन करता है कि मैं पहले कोर्ट में 11 तारीख को आया, मैंने चार स्थान पर हस्ताक्षर किये जो कागज पहले से ही वकील साहब द्वारा तैयार किये हुए थे, पाबूदान के पांच लड़के कब अलग हुए मुझे पता नहीं है, यह बात झूठी है कि रजिस्ट्री पर खरीददार के हस्ताक्षर नहीं होते थे। यह जमीन की पैमाईश पाबूदान व गुणेशाराम के नाम 1/2–1/2 दर्ज हुई। जमीन का सोदा हुआ तब में साथ में नहीं था। जमीन खरीदी तब चार सौ रूपये दिये। रूपये की लेनदेन हमने सुनी सुनाई बात कही। मुझे पता नहीं की मेरा जन्म रजिस्ट्री से पहले हुआ या बाद में हुआ। परिवार में साथ होते हुए भी भाई भाई अपनी अपनी करते थे। गुणेशा को देखा हुआ है या नहीं मुझे पता नहीं है, पाबूदान के परिवार की वादग्रस्त सम्पति के अलावा है अन्य कोई सम्मति है तो मुझे पता नहीं है। वादग्रस्त सम्पति के अलावा अन्य सम्पति का बंटवारा कैसे किया मुझे पता नहीं है। पाबूदान के परिवार में सबसे बड़ा लडका मगाराम था दूसरे नम्बर रामचन्द्र तीसरे नम्बर श्रीराम थे। पाबूदान कब फौत हुए मुझे पता नहीं है। मैं इस खेत का पाडौसी हूँ, मेरे जमीन खरीदी हुई है सन मुझे याद नहीं है सम्वत् 2016 में खरीदी हुई है। श्रीराम, रूपाराम व दौलाराम ने सन 1995 में एस.बी.आई. से लोन लिया। यह बात झूठी है कि चुन्नीलाल मुझे झूठे बयान देने के लिये लाया हो।

PW-5 जालाराम ने बयानों में कथन किया कि मैं वादीगण व प्रतिवादीगण का सेढा पाडौसी हूँ, मैं वादीगण को पीढियों से जानता हूँ, वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा वादीगण श्रीराम, दोलाराम व रूपाराम ने क्रय किया था। सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा पाबूदान का तथा 1/2 हिस्सा श्रीराम, दोलाराम, रूपाराम का है। पाबूदान की फौतगी पर नामान्तरकरण गलत खोला गया। रामचन्द्र व मगाराम का इस विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकबे में 1/5–1/5 हिस्सा नहीं बनता है, प्रतिवादीगण मुतवफी पाबूदान के हिस्से 1/2 हिस्से में ही 1/5–1/5 हिस्सा बनता है अर्थात सम्पूर्ण आराजी में 1/10–1/10 हिस्सा खातेदारी में पैतृक रूप में आता है, तथा 1/2 हिस्सा वादीगण का स्वअर्जित है इसलिये इस 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है, प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। ...जिरह में कथन करता है कि मैं अनपढ हूँ। वकील साहब ने जहां कहा वहां पर मैंने अगूंठा कर दिया मैं पढा लिखा नहीं होने की बजह से पढ नहीं सका। मेरे आने से पहले कागज तैयार किये हुए थे। मुझे चुन्नीलाल ने कहा कि मेरे गवाह देनी है इसलिये क्योंकि हम पाडौसी है अंगूठा देने के लिये चलो। इस साक्षी शपथ पत्र में क्या लिखा मुझे पता नहीं है।

प्रतिवादी की साक्ष्य में DW-1 वादीगण व हम प्रतिवादीगण की सामलाती भूमि ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की आई हुई है। पाबूदान के पांच पुत्र हैं, जो इस प्रकार हैं–मगाराम, रामचन्द्र, श्रीराम, दौलाराम, रूपाराम थे, पाबूदान के पांचों पुत्रों का स्वर्गवास हो चुका है। विवादित जमीन में सैटलमेंन्ट से 1/2 हिस्सा पाबूदान का था, व 1/2 हिस्सा गणेशाराम से पाबूदान ने परिवार की संयुक्त आय से क्रय किया इस प्रकार पाबूदान का स्वर्गवास होने से पांचों भाईयों का बराबर–बराबर 1/5–1/5 हिस्सा बनता है। कब्जा भी इसी प्रकार है 1/5–1/5 हिस्सा में है। पाबूदान के पांचों पुत्रों का स्वर्गवास होने से श्रीराम के 1/5 हिस्से में वादी संख्या 1/1 से 1/5, दौलाराम के हिस्से में 2/1 व 2/2 रूपाराम के 1/5 हिस्से में 3/1 से 3/5 व रामचन्द्र के 1/5 हिस्से में प्रतिवादी 1/1 व मगाराम के 1/5 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान व 3 से 6 का हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार काबिज काश्त हैं। वादीगण हम प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करते रहते हैं। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1/1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के 1/5 हिस्सा खातेदारी में घोषित कर इसी हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ट्स वादीगण से अलग कर अलग–अलग खाता कायम किया जावे साथ ही वादीगण को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करैं। ......जिरह में कथन करता है कि ये दावा सन 2012 में लगाया है। ये दावा श्रीराम, रूपाराम व दौलाराम ने अपने जीवनकाल में लगाया था। ये दावा मैंने पढा है। ये कहना सही है कि वक्त सैटलमेंन्ट ये जमीन 1/2 गुणेशा वल्द पुरखा व 1/2 हिस्सा प्रभु वल्द गुला के नाम थी। नामान्तरणकरण संख्या 238 सही भरा या गलत भरा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये कहना गलत है कि गुणेशा से दौला, श्रीराम, रूपा ने जमीन खरीदी हो। ये कहना गलत है कि रजिस्ट्री कराने के लिये गुणेशा को दौला, श्रीराम व रूपया लेकर गये हों, अजखुद कहा कि पाबूदान लेकर गये थे, पाबूदान व प्रभु एक ही व्यक्ति है ये कहना सही है। गुणेशा ने जो रजिस्ट्री कराई सन मुझे याद नहीं है। गुणेशा ने साढे सत्ताईस बीघा की रजिस्ट्री करवाई थी। खेत के पाडौस मुझे याद हैं– एक तरफ केशा मेगवाल, एक तरफ हडमतसिंह रावणा राजपूत वगैरा और एक तरफ राजाराम वगैरा रबारी हैं। राजाराम उत्तर दिशा में है। हडमतसिंह पश्चिम दिशा में है। केशा मेगवाल दक्षिण दिशा में है। दिनांक 28.01.2023 को इस जमीन की मौका रिपोर्ट तैयार हुई तब मैं मौके पर हाजिर नहीं था। मौका रिपोर्ट परफेक्ट गलत है। मेरा कब्जा था, मेरे मौके पर हाजिर नहीं होने से कब्जा नहीं बताया। ये कहना गलत है कि मेरे पेरेन्टल हिस्से में 5–11 बीघा ही जमीन आती है। 11 बीघा कुछ बिस्वा मगाराम व 11 बीघा कुछ बिस्वा जमीन रामचन्द्र के हिस्से में आती है। ये कहना गलत है कि रजिस्ट्री में लिखी 27–15 बीघा जमीन श्रीराम, दौला व रूपा के हिस्से में आती हो। ये कहना गलत है कि श्रीराम, दौला व रूपा के हिस्से में 44–07 बीघा आती है। अजखुद कहा कि 33–00 बीघा आती है। प्रश्न– ये कहना सही है कि इस जमीन पर आपने कभी अतिक्रमण किया ही नहीं। उत्तर– इस जमीन पर अतिक्रमण नहीं मेरा अधिकार ही है। प्रश्न–ये कहना सही है रामचन्द्र व मगा का 1/10–1/10 हिस्सा है?

पठन कर्ता ... [signature] ... 

उत्तर रामचन्द्र व मगा का इस जमीन में 1/5–1/5 हिस्सा है। इस जमीन में मेरा खुद का 2 बीघा व कुछ बिस्सा हिस्सा है।

DW-2 भंवरलाल ने बयानों में कथन किया कि वादीगण व हम प्रतिवादीगण की सामलाती भूमि ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की आई हुई है। पाबूदान के पांच पुत्र हैं, जो इस प्रकार हैं–मगाराम, रामचन्द्र, श्रीराम, दौलाराम, रूपाराम थे, पाबूदान के पांचों पुत्रों का स्वर्गवास हो चुका है। विवादित जमीन में सैटलमेंन्ट से 1/2 हिस्सा पाबूदान का था, व 1/2 हिस्सा गणेशाराम से पाबूदान ने परिवार की संयुक्त आय से कय किया इस प्रकार पाबूदान का स्वर्गवास होने से पांचों भाईयों का बराबर–बराबर 1/5–1/5 हिस्सा बनता है। कब्जा भी इसी प्रकार 1/5–1/5 हिस्सा में है। पाबूदान के पांचों पुत्रों का स्वर्गवास होने से श्रीराम के 1/5 हिस्से में वादी संख्या 1/1 से 1/5, दौलाराम के हिस्से में वादी संख्या 2/1 व 2/2, रूपाराम के 1/5 हिस्से में वादी संख्या 3/1 से 3/5 व रामचन्द्र के 1/5 हिस्से में प्रतिवादी 1/1 से 1/5 व मगाराम के 1/5 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान व 3 से 6 का हक हिस्सा निहित हो गया। प्रतिवादी संख्या 1/2 से 1/5 ने मुझ प्रतिवादी संख्या 1/1 के पक्ष में पंजीवद्ध हकतर्कनामा के जरिये अपना हिस्सा हकत्याग करने से मेरा वादीग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्सा हो गया। इसी अनुसार काबिज काश्त हैं तथा पाबूदान के पुत्र मगाराम के वारिसानों ने अपने सम्पूर्ण 1/5 हिस्से की भूमि पिंकिकंवर, मंजूकंवर, चकियाकंवर व लीला को बेचान कर दी गई है एवं वादी संख्या 4 के वारिसानों ने अपने हिस्से की भूमि रूखमणी पत्नी बुधराम को बेचान कर दिया है। वादीगण एवं उनके वारिसानों के द्वारा बेचान करने से अजनवी खरीददार मुझ प्रतिवादी संख्या 1/1 के 1/5 हिस्से के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करते रहते हैं। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1/1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के द्वारा बेचान करने से खरीददार पिंकिकंवर, मंजूकंवर, लीलाकंवर व चकिया कंवर का 1/5 हिस्सा खातेदारी में घोषित कर इसी हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ट्स वादीगण से अलग कर अलग–अलग खाता कायम किया जावे साथ ही वादीगण व वादीगण द्वारा बेचान अजनवी केता को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। मेरे प्रतिवाद के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा EXD-1 से EXD-14A तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं। जिरह में कथन करता है कि..... ये दावा सन 2012 में लगाया है। ये दावा श्रीराम, रूपाराम व दौलाराम ने अपने जीवनकाल में लगाया था। ये दावा मैंने पढा है। ये कहना सही है कि वक्त सैटलमेंन्ट ये जमीन 1/2 गुणेशा वल्द पुरखा व 1/2 हिस्सा प्रभु वल्द गुला के नाम थी। नामान्तरणकरण संख्या 238 सही भरा या गलत भरा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये कहना गलत है कि गुणेशा से दौला, श्रीराम, रूपा ने जमीन खरीदी हो। ये कहना गलत है कि रजिस्ट्री कराने के लिये गुणेशा को दौला, श्रीराम व रूपा लेकर गये हों, अजखुद कहा कि पाबूदान लेकर गये थे, पाबूदान व प्रभु एक ही व्यक्ति है ये कहना सही है। गुणेशा ने जो रजिस्ट्री कराई सन मुझे याद नहीं है। गुणेशा ने साढे सत्ताईस बीघा की रजिस्ट्री करवाई थी। खेत के पाडौस मुझे

सहायक कलक्टर

याद हैं– एक तरफ केशा मेगवाल, एक तरफ हडमतसिंह रावणा राजपूत वगैरा और एक तरफ राजाराम वगैरा रबारी हैं। राजाराम उत्तर दिशा में है। हडमतसिंह पश्चिम दिशा में है। केशा मेगवाल दक्षिण दिशा में है। दिनांक 28.01.2023 को इस जमीन की मौका रिपोर्ट तैयार हुई तब मैं मौके पर हाजिर नहीं था। मौका रिपोर्ट मैंने देखी नहीं थी। ये कहना गलत है कि मेरे पेरेन्टल हिस्से में 5–11 बीघा ही जमीन आती है। 11 बीघा कुछ बिस्वा मगाराम व 11 बीघा कुछ बिस्वा जमीन रामचन्द्र के हिस्से में आती है। ये कहना गलत है कि रजिस्ट्री में लिखी 27–15 बीघा जमीन श्रीराम, दौला व रूपा के हिस्से में आती हो। ये कहना गलत है कि श्रीराम, दौला व रूपा के हिस्से में 44–07 बीघा आती है। अजखुद कहा कि 33–00 बीघा आती है। प्रश्न– ये कहना सही है कि इस जमीन पर आपने कभी अतिक्रमण किया ही नहीं। उत्तर–इस जमीन पर अतिक्रमण नहीं मेरा अधिकार ही है। प्रश्न–ये कहना सही है रामचन्द्र व मगा का 1/10–1/10 हिस्सा है? उत्तर रामचन्द्र व मगा का इस जमीन में 1/5–1/5 हिस्सा है। इस जमीन में मेरा खुद का 1/5 हिस्सा है।

DW-3 प्रतापसिंह ने बयानों में कथन किया कि मैं वादीगण व प्रतिवादीगण को भलीभांति जानता हूँ, मेरा व वादग्रस्त खेत के बीच में 100 पांवडा की दूरी है। वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती भूमि ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की आई हुई है। पाबूदान के पांच पुत्र हैं, जो इस प्रकार हैं– मगाराम, रामचन्द्र, श्रीराम, दौलाराम, रूपाराम थे, पाबूदान के पांचों पुत्रों का स्वर्गवास हो चुका है। विवादित जमीन में सैटलमेंन्ट से 1/2 हिस्सा पाबूदान का था, व 1/2 हिस्सा गणेशाराम से पाबूदान ने परिवार की संयुक्त आय से क्रय किया इस प्रकार पाबूदान का स्वर्गवास होने से पांचों भाईयों का बराबर–बराबर 1/5–1/5 हिस्सा बनता है। कब्जा भी इसी प्रकार 1/5–1/5 हिस्सा में हैं। जिरह में कथन करता है कि..... मैं अनपढ हूँ, ये दावा मगा के लड़कों के द्वारा लगाया गया है, ये दावा 2 साल पुराना है, बूढिया को मैं जानता हूँ, पीछे वालों को मैं जानता नहीं हूँ, दावा के खसरा नम्बर मुझे याद नहीं है, कितने बीघा का है ये मुझे याद नहीं है, खेत मोटा है, पांचों भाईयों का। आदी पाबू की है, आदी मोल राखी है, वह भी पांचों भाईयों के नाम कराई है, मोल कब राखी तारीखा याद नहीं है। यह कहना सही है कि मैं जुगताणियों की ढाणी नहीं रहता हूँ, ये कहना सही है कि विवादित खेत जीवाणियों की ढाणी में आया हुआ है, ये कहना सही है कि ये मुझे हमेशा खेत के विवाद का कहते हैं, इसलिये में गवाह देने आया हूँ, ये कहना सही कि इनका कब्जा था लेकिन तोड दिया, मैं जिनकी गवाह देने आया हूँ उनका इस खेत में पांचवा हिस्सा है। ग्यारह–ग्यारह बीघा आती है, ये कहना गलत है कि मुझे गवाह के लिये पैसे दिये हों, मैं स्वतन्त्र रूप से गवाह देने आया हूँ।

**तनकी संख्या 01 का निर्णय :–**

उक्त तनकी में वादीगण को ये सावित करना था कि वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा की भूमि वादीगण की स्वअर्जित होने से उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करवाते हुए सम्पूर्ण आराजी का 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण की खातेदारी

सहायक कलक्टर, पुष्कर

में घोषित करवाने के अधिकारी है? वादीगण ने उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिये वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत गवाहन ने इस बात की पुष्टि की है कि उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा वादीगण ने गुणेशा पुत्र पुरखा दरोगा से जरिये रजिस्ट्री बेचान कय किया था, इसलिये वादीगण का विवादित आराजी के 1/2 के खातेदार हैं एवं 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण के पिता पाबूदान की खातेदारी में थी तथा पाबूराम के फौत होने से विरासत के रूप में पाबूदान के पांचों पुत्रों का पाबूदान के 1/2 हिस्से की भूमि में बराबर-बराबर निहित होते हैं। इस प्रकार वादीगण विवादित आराजी के सम्पूर्ण हिस्से की घोषणा अपनी खातेदारी में करवाने के अधिकारी नहीं हैं। चूंकि वादीगण ने प्रतिवादीगण के प्रतिवाद में यह स्वीकार किया है कि उक्त भूमि के 1/2 हिस्से जो पाबूदान के हिस्से की भूमि है, में प्रतिवादी अर्थात वादीगण के दोनों भाई रामचन्द्र व मगाराम का हक हिस्सा निहित है तथा वादीगण द्वारा कय 1/2 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है। तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य बेचान दस्तावेजात एवं राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादीगण द्वारा विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा ही कय किया है तथा 1/2 हिस्सा पिता पाबूदान की खातेदारी में पूर्व से ही दर्ज था, इस प्रकार पाबूदान की फौतगी पर विरासत के रूप में पाबूदान के पांचों पुत्रों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये। ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त तनकी को साबित करने में आंशिक रूप से सफल हुए हैं अतः उक्त तनकी आंशिक स्वीकार की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02...</u> आया वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55-09 बीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा कय करने से तथा इस भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता स्व0 पाबूदान द्वारा कय किये जाने एवं वर्तमान में वादीगण के पिता पाबूदान का स्वर्गवास हो जाने से पिता पाबूदान द्वारा 1/2 हिस्से की कयसुदा भूमि में भी (सम्पूर्ण आराजी के अपने स्वअर्जित 1/2 हिस्से के अतिरिक्त) अपने 3/10 हिस्से की खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। उक्त तनकी में वादीगण को सावित ये करना था कि वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55-09 बीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा कय करने से तथा इस भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता स्व0 पाबूदान द्वारा कय किये जाने एवं वर्तमान में वादीगण के पिता पाबूदान का स्वर्गवास हो जाने से पिता पाबूदान द्वारा 1/2 हिस्से की कयसुदा भूमि में भी (सम्पूर्ण आराजी के अपने स्वअर्जित 1/2 हिस्से के अतिरिक्त) अपने 3/10 हिस्से की खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी हैं। चूंकि प्रस्तुत मौखित व दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि हो चुकी है कि विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण का कयशुदा भूमि है तथा 1/2 हिस्से की भूमि पाबूदान की स्वयं की खातेदारी भूमि है। इस प्रकार पाबूदान के फौत होने पर पाबूदान के हिस्से की 1/2 हिस्से की भूमि में पाबूदान के पांचों पुत्रों का बहक बराबर-बराबर हिस्सा है। इसलिये वादीगण अपने पिता

सहायक कलेक्टर [illegible]

पाबूदान के 1/2 हिस्से की भूमि में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

<u>तनकी संख्या 03...</u> आया वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता स्व0 पिता पाबूदान द्वारा कय किये जाने एवं वर्तमान में वादीगण के पिता पाबूदान का स्वर्गवास हो जाने पाबूदान द्वारा 1/2 हिस्से की कयसुदा भूमि में पाबूदान के पांचों पुत्रों का बराबर–बराबर हिस्सा होने से वादीगण श्रीराम, दोला, रूपा सम्पूर्ण आराजी में अपने 1/2 हिस्सा को सुरक्षित रखते हुए पाबूदान के विधिक वारिसान वादीगण श्रीराम, दोला, रूपा एवं पतिवादी रामचन्द, मगाराम के हिस्से में प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्से की भूमि खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। उक्त तनकी में वादीगण को सावित ये करना था कि वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता स्व0 पिता पाबूदान द्वारा कय किये जाने एवं वर्तमान में वादीगण के पिता पाबूदान का स्वर्गवास हो जाने पाबूदान द्वारा 1/2 हिस्से की कयसुदा भूमि में पाबूदान के पांचों पुत्रों का बराबर–बराबर हिस्सा होने से वादीगण श्रीराम, दोला, रूपा सम्पूर्ण आराजी में अपने 1/2 हिस्सा को सुरक्षित रखते हुए पाबूदान के विधिक वारिसान वादीगण श्रीराम, दोला, रूपा एवं पतिवादी रामचन्द, मगाराम के हिस्से में प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्से की भूमि खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी हैं। उक्त तनकी तनकी संख्या 2 की अनुशांकि तनकी है। चूंकि प्रस्तुत मौखित व दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि हो चुकी है कि विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण का कयशुदा भूमि है तथा 1/2 हिस्से की भूमि पाबूदान की स्वयं की खातेदारी भूमि है। इस प्रकार पाबूदान के फौत होने पर पाबूदान के हिस्से की 1/2 हिस्से की भूमि में पाबूदान के पांचों पुत्रों का बहक बराबर–बराबर हक–हिस्सा है, इसलिये पाबूदान के 1/2 हिस्से की भूमि में पैतृक हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार प्रतिवादी रामचन्द्र व मगाराम पाबूदान के विधिक वारिसान होने से उक्त आराजी में पाबूदान के 1/2 हिस्से की भूमि में पाबूदान की फौत होने से विरासत के रूप में पाबूदान के पांचों पुत्रों के समान हक अधिकार निहित होने से पाबूदान के पुत्र प्रतिवादी रामचन्द्र, मगाराम के हिस्से में प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी हैं। अतः उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04...</u> आया वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा कय करने से तथा इस भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता स्व0 पाबूदान द्वारा कय किये जाने एवं वर्तमान में वादीगण के पिता पाबूदान का स्वर्गवास हो जाने से पिता पाबूदान द्वारा 1/2 हिस्से की कयसुदा भूमि में भी (सम्पूर्ण आराजी के अपने स्वअर्जित 1/2 हिस्से के अतिरिक्त) अपने 3/10 हिस्से की खातेदारी में घोषित करवाने के के बाद वादीगण के हिस्से में आने वाली

सहायक कलक्टर, [illegible]

भूमि के सम्बन्ध में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। उक्त तनकी में वादीगण को सावित ये करना था कि वादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकवा 55–09 वीघा की भूमि का 1/2 हिस्सा कय करने से तथा इस भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता स्व0 पाबूदान द्वारा कय किये जाने एवं वर्तमान में वादीगण के पिता पावूदान का स्वर्गवास हो जाने से पिता पावूदान द्वारा 1/2 हिस्से की कयसुदा भूमि में भी (सम्पूर्ण आराजी के अपने स्वअर्जित 1/2 हिस्से के अतिरिक्त) अपने 3/10 हिस्से की खातेदारी में घोषित करवाने के के बाद वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि के सम्बन्ध में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं। उक्त तनकी तनकी संख्या 1 ता 3 की अनुशांगिक तनकी है। चूंकि वादीगण तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से साबित करने में सफल हुए हैं। तथा भूमि वर्तमान में पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, तथा संयुक्त खातेदारी में विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक हिस्से पर पक्षकारान के हक हिस्से निहित हैं ऐसी स्थिति में बिना विभाजन के विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 05...</u> आया प्रतिवादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि (वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ता 7 के पिता व पति से संयुक्त परिवार के कुटुम्ब की आय से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 12.04.1965 को कय करने से) में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों के 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हिस्से में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त तनकी को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में DW-1 शंकरलाल, DW-2 भंवरलाल, DW-3 प्रतापसिंह को उपस्थित कर वयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में EXD-1 ग्राम गुडामालानी के नामान्तरकरण संख्या 1019 की नकल, EXD-2 ग्राम गुडामालानी के नामान्तरकरण संख्या 238 की नकल, EXD-3 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 79 की नकल, EXD-4 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 82 की नकल, EXD-5 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 37 की नकल, EXD-6 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 315 की नकल, EXD-7 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 317 की नकल, EXD-8 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 320 की नकल, EXD-9 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 325 की नकल, EXD-10 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 326 की नकल, EXD-11 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 327 की नकल, EXD-12 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खाता संख्या 72 की वर्तमान जमाबन्दी की नकल, EXD-13 ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खसरा संख्या 711 का आंशिक

सहायक कलेक्टर गुडामालानी

नकल प्रदर्शित करवाये गये।

**तनकी संख्या 05 का निर्णय :–**

उक्त तनकी में प्रतिवादीगण को ये सावित करना था कि प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि (वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ता 7 के पिता व पति से संयुक्त परिवार के कुटुम्ब की आय से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 12.04.1965 को क्रय करने से) में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों के 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हिस्से में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है? उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिये प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत गवाहन द्वारा अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पाबूदान के पांच पुत्र मगाराम, रामचन्द्र, श्रीराम, दौलाराम, रूपाराम थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। विवादित जमीन में सैटलमेंन्ट से 1/2 हिस्सा पाबूदान का था, तथा 1/2 हिस्सा गणेशाराम से पाबूदान ने परिवार की संयुक्त आय से क्रय किया इस प्रकार पाबूदान का स्वर्गवास होने से पांचों भाईयों का बराबर–बराबर 1/5–1/5 हिस्सा है परन्तु जिरह में जमीन खरीद किये जाने के सम्बन्ध में संतोषप्रद जबाव नहीं दिया है। अवलोकन राजस्व दस्तावेजात EXD-14A पंजीयन दस्तावेज संख्या 38/2016 यह तथ्य न्यायालय के समक्ष आया है कि पाबूदान के तीन पुत्रों वादीगण श्रीराम, दौलाराम, रूपाराम (जो वर्तमान में फौत हैं) द्वारा विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा गुणेशा पुत्र वल्द पुरखा कौम दरोगा निवासी गुड़ामालानी से क्रय किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा वादीगण का क्रयशुदा है तथा 1/2 हिस्सा पाबूदान का स्वयं का खातेदारी का है। हालांकि दौराने प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह में उक्त पंजीयन दस्तावेज में चिन्हित मार्क–A से B में "आगे पाबूदान जी बेटा श्रीराम दोलाराम रूपाराम बेटा पानेरा बुलीदान जीरा साकिन गुडामालानी जातरा देशान्तरी वाला" B से C "के हक में लीख दिया तथा C से D "आज गुडामालानी के सरहद में हमारा खुद कास्त काबिल खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा डेरे वाला बारानी दोयम वाला बाजार भाव से रूपीया 400 चार सौ का मोल बेचान कर दिया है कोरबा पाबूदानजी के कारस्त की जमीन कम होने से मैंने उनको उपरोक्त खसरा के बेचान कर कब्जा करा दिया है।" लिखी इवारत को वादीगण के गवाहान PW-1 चुन्नीलाल ने सही होना स्वीकार किया है। इसका यह तात्पर्य नहीं होता है कि भूमि संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई हो। चूंकि बेचान दस्तावेज दस्तावेज में भूमि का विक्रय विलेख वादीगण के नाम से निस्पादित किया गया है। एक बार के लिये यह मान भी लिया जावे कि उक्त बेचाननामा परिवार की संयुक्त आय से निस्पादित हुआ है तो पाबूदान स्वयं अपने नाम से या पांचों पुत्रों के नाम से निस्पादित करा सकते थे, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। वादीगण के पक्ष में निरपादित बेचाननामा को वादीगण के पक्ष में नहीं होने एवं उक्त बेचाननामा से क्रय भूमि को संयुक्त परिवार की आय से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है मौखिक साक्ष्य द्वारा भी इसके सम्बन्ध में कोई संतोषजनक व ठोस तथ्य पेश नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त

विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा वादीगण का कयशुदा होने तथा 1/2 हिस्से की भूमि पाबूदान के खातेदारी की होने की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से होती है। इस प्रकार प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी सम्पूर्ण आराजी को पैतृक मानते हुए तथा रजिस्ट्री दिनांक 12.04.1965 को संयुक्त परिवार की आय से कय किया जाना मानते हुए उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों के 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हिस्से में 1/5 हिस्से की खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते हैं। अतः उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 06...</u> आया प्रतिवादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों के 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हिस्से में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने के बाद अपने हिस्से में आने वाली भूमि का बंटवारा बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कर वादीगण से पृथक खाता कायम करवाने के अधिकारी है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण को इस तनकी में साबित यह करना था कि प्रतिवादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों के 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हिस्से में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने के बाद अपने हिस्से में आने वाली भूमि का बंटवारा बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कर वादीगण से पृथक खाता कायम करवाने के अधिकारी हैं, चूंकि प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकी संख्या 5 को साबित करने में प्रतिवादीगण विफल रहे हैं तथा विवादित आराजी में 1/5–1/5 हिस्से की घोषणा कराने में सफल नहीं हुए हैं ऐसी स्थिति में इस हिस्से अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः उक्त तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है

<u>तनकी संख्या 07...</u> आया प्रतिवादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों के 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हिस्से में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने के बाद अपने हिस्से में आने वाली भूमि का बंटवारा बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कर वादीगण से पृथक खाता कायम करवाने के के पश्चात प्रतिवादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि के सम्बन्ध में विरूद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण को इस तनकी में साबित यह करना था कि प्रतिवादीगण ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों के 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हिस्से में 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने के बाद अपने हिस्से में आने वाली भूमि का बंटवारा बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कर वादीगण से पृथक खाता कायम करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण के हिस्से में आने वाली

सहायक कलेक्टर भोपालगढ़

भूमि के सम्बन्ध में विरूद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं, चूंकि उपराक्तानुसार जिम्मे तनकी संख्या 5 व 6 को साबित करने में असफल रहे हैं, उक्त तनकी दोनों तनकीयात की अनुशांकित तनकी है। जिससे उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 08... अन्य सहायता

चूंकि वादीगण के जिम्मे चार तनकीयात में से 2 तनकीयात को साबित करने में सफल रहे हैं तथा एक तनकी आंशिक स्वीकार की गई है ऐसी स्थिति में अन्य कोई सहायता वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते हैं इसी प्रकार जो तनकीयात प्रतिवादीगण के जिम्मे थी उन्हें प्रतिवादीगण विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुकूल साबित करने में असफल रहे हैं इसलिये प्रतिवादीगण अन्य कोई सहायता न्यायालय प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उपरोक्तानुसार तनकीयात का निर्णय किये जाने से वाद वादीगण आंशिक रूप से तथा प्रतिवादीगण के प्रतिवाद को जरिये जबाव–उल–जबाव वादीगण द्वारा आंशिक स्वीकार किये जाने से वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा में वादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 को 4/15 हिस्से, वादीगण संख्या 2/1 ता 2/2 को 4/15 हिस्से, वादीगण संख्या 3/1 ता 3/5 को 4/15 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/5 को 1/10 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 7 को 1/10 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की पालना तहसीलदार गुड़ामालानी करते हुए पालना एक माह में पेश करें। इसी प्रकार डिकरी पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( रामजी भाई कलबी )
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी

निर्णय आज दिनांक 15/1/24..... को सुनाया गया।

( रामजी भाई कलबी )
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी

# डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )

## अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) गुडामालानी

## व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

**वादीगण**

1. श्रीराम पुत्र पाबूदान फौत के कायम मुकाम :–
   1/1 मांगीलाल पुत्र श्रीराम
   1/2 लिखमीचंद पुत्र श्रीराम
   1/3 चुन्नीलाल पुत्र श्रीराम
   1/4 ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम
   1/5 छगनदेवी पत्नी श्रीराम
2. दोलाराम पुत्र पाबूदान फौत के कायम मुकाम :–
   2/1 चेनाराम पुत्र दोलाराम
   2/2 पुखराज पुत्र दोलाराम
3. रूपाराम पुत्र पाबूदान फौत के कायम मुकाम :–
   3/1 छगनदेवी पत्नी रूपाराम
   3/2 मदनलाल पुत्र रूपाराम
   3/3 नरपत पुत्र रूपाराम
   3/4 जगदीश पुत्र रूपाराम
   3/5 अशोक पुत्र रूपाराम
   जाति देशान्तरी निवासी गुडामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. रामचन्द्र पुत्र पाबूदान फौत के कायम मुकाम :–
   1/1 भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र
   1/2 कसूम्बीदेवी पत्नी रामचन्द्र
   1/3 शान्ता पुत्री रामचन्द्र
   1/4 कमला पुत्री रामचन्द्र
   1/5 दमका पुत्री रामचन्द्र
2. श्रवण पुत्र मगाराम फौत के कायम मुकाम :–
   2/1 भोपी पत्नी श्रवण
   2/2 स्वरूप पुत्र श्रवण
   2/3 देवा पुत्र श्रवण
   2/4 लीला पुत्री श्रवण
   2/5 कौशल्या पुत्री श्रवण
   2/6 लक्ष्मी पुत्री श्रवण
   2/7 ममता पुत्री श्रवण
   2/8 पूजा पुत्री श्रवण
3. भीमाराम पुत्र मगाराम
4. मोहनराम पुत्र मगाराम
5. हरीराम पुत्र मगाराम
6. शंकराराम पुत्र मगाराम
7. समदा पत्नी मगाराम फौत के वारि प्रतिवादी संख्या 2 से 6
   जाति देशान्तरी निवासी गुडामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. मैंनेजर SBI बैंक शाखा गुडामालानी
9. मैंनेजर BCCB शाखा गुडामालानी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी
11. पिंकी कंवर पत्नी मोडसिंह
12. मंजू कंवर पत्नी दुर्गसिंह
13. लीला पत्नी हडमतसिंह
14. सकिया कंवर पत्नी लाधूसिंह
    जाति राजपूत निवासी जीवाणियों की ढाणी
15. रूखमणी पत्नी बुधराम जाति विश्नोई निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

सहायक कलक्टर, गुडामालानी

निर्णय दिनांक : 15/1/24

रण संख्या :– 184/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता वादीगण व हाजरी श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण आंशिक रूप से तथा प्रतिवादीगण के प्रतिवाद को जरिये जवाब–उल–जवाब वादीगण द्वारा आंशिक स्वीकार किये जाने से वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 711 रकबा 55–09 बीघा की भूमि में वादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 को 4/15 हिस्से, वादीगण संख्या 2/1 ता 2/2 को 4/15 हिस्से, वादीगण संख्या 3/1 ता 3/5 को 4/15 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/5 को 1/10 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 7 को 1/10 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की पालना तहसीलदार गुड़ामालानी करते हुए पालना एक माह में पेश करें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/1/24 को जारी की गई।

मुहर

( रामजी भाई कलबी )
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी

क्रमांकः वाचक/2024/38
दिनांक : 18/1/24

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।
1. भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी।

( रामजी भाई कलबी )
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी